न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी - श्योराम वर्मा (R.A.S.)

दिनांक 21.07.2022

राजस्व प्रकरण संख्या 07 / 2022

आदुराम पुत्र स्व॰ भेराराम जाति जाट उम्र ..... वर्ष निवासी ग्राम रूपेली तहसील बीदासर जिला चूरू (राज॰)

.....वादी

बनाम

1. केशराराम
2. गणपतराम
3. जीवा देवी
4. धनाराम
5. भागूदेवी
6. रामलाल
7. सुन्दरदेवी

पुत्र–पुत्री व पत्नी स्व॰ कानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रूपेली तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)

8. कुशलाराम
9. नरसाराम
10. मघाराम
11. मनीराम
12. मीरा

पुत्र–पुत्री व पत्नी स्व॰ किसनाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रूपेली तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)

13. खेतूदेवी
14. महावीर
15. हीराराम

पत्नी व पुत्रगण स्व॰ दानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रूपेली तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)

16. मोहनलाल
17. भानीराम

पुत्रगण स्व॰ पूसाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रूपेली तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)

18. गंगाराम
19. गोपालराम
20. रिधूदेवी
21. सांवरमल
22. सोहनराम

पुत्रगण व पत्नी स्व॰ अमराराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रूपेली तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार....2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

Scanned with CamScanner

23. छोटू पुत्री स्व॰ चूनाराम
24. भंवरलाल पुत्र स्व॰ चूनाराम } समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रूपेली तहसील बीदासर जिला चूरू (राज॰)

25. श्रीमती निर्मला पत्नी स्व॰ जाति जाट निवासीनी ग्राम रूपेली तहसील बीदासर जिला चूरू (राज॰)
26. दिनेश पुत्र स्व॰ मुकेश नाबालिग उम्र 8 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती निर्मला पत्नी स्व॰ जाति जाट निवासीनी ग्राम रूपेली तहसील बीदासर जिला चूरू (राज॰)
27. कु॰ दीपिका पुत्री स्व॰ मुकेश नाबालिग उम्र 6 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती निर्मला पत्नी स्व॰ जाति जाट निवासीनी ग्राम रूपेली तहसील बीदासर जिला चूरू (राज॰)
28. रूपादेवी पत्नी स्व॰ चूनाराम जाति जाट निवासीनी ग्राम रूपेली तहसील बीदासर जिला चूरू (राज॰)
29. सरोज पुत्री चूनाराम जाति जाट निवासीनी ग्राम रूपेली तहसील बीदासर जिला चूरू (राज॰)
30. शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज॰) (वादी ने ऋण ले रखा है/प्रतिवादी सं॰ 17 ने ऋण ले रखा है।)
31. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बीदासर जिला चूरू (राज॰) (प्रतिवादी सं॰ 16 मोहनलाल ने ऋण ले रखा है।)
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर तहसील कार्यालय बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज॰)

.....**प्रतिवादीगण**

वादपत्र कृषि भूमि का विभाजन अन्तर्गत धारा 53 (तिरेपन) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 7 (सात) नियम 1 (एक) व 2 (दो) व्यवहार प्रक्रिया संहिता सब प्रकार के प्रमाणों के आधार पर

अधिवक्ता का नाम :–

1. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता रघुवीर भामू
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 29 की ओर से विद्वान अधिवक्ता अरविन्द चौधरी
3. प्रतिवादी संख्या 30 व 31 की ओर से अनुपस्थित
4. प्रतिवादी संख्या 32 राज॰ सरकार जरिये तहसीलदार स्वयं।

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रोही ग्राम रूपेली पटवार हल्का बालेरा तहसील बीदासर जिला चूरू (राज॰) के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 123 (एक सौ तेईस) रकबा 6.0449 (छः पोईन्ट शून्य चार चार नौ) हैक्टेयर, खसरा नम्बर 161 (एक सौ इगसठ) रकबा 4.4263 (चार पोईन्ट चार दो छः तीन) हैक्टेयर आथूणियां, खसरा नम्बर 26 (छब्बीस) रकबा 5.2230 (पांच पोईन्ट दो दो तीन शून्य) हैक्टेयर, खसरा

लगातार....3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

नम्बर 71 (इगहत्तर) रकबा 8.9157 (आठ पोईन्ट नौ एक पांच सात) हैक्टेयर, खसरा नम्बर 89 (नवासी) बाड़ी रकबा 1.0117 (एक पोईन्ट शून्य एक एक सात) हैक्टेयर कुल खसरा 5 (पांच) कुल रकबा 25.6216 (पच्चीस पोईन्ट छः दो एक छः) हैक्टेयर है, जिसे वादपत्र में आगे वादगत कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादगत सम्पति कृषि भूमि में वादी आदुराम का 1/8 (एक बट्टा आठ) हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 (सोलह) मोहनलाल व प्रतिवादी संख्या 17 (सत्रह) भानीराम दोनों का 1/6 (एक बट्टा छः), 1/6 (एक बट्टा छः) हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 (एक) ता 7 (सात) प्रत्येक का 1/64 (एक बट्टा चौसठ) हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 23 (तेईस) ता 29 (उनतीस) जो स्व॰ कानाराम के मृत पुत्र चूनाराम की पुत्री, पुत्र, बेवा पुत्रवधू, पौत्र, पौत्री है जिसका प्रत्येक का 1/320 (एक बट्टा तीन सौ बीस) हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 (आठ) ता 12 (बारह) प्रत्येक का 1/40 (एक बट्टा चालीस) हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 (तेरह) ता 15 (पन्द्रह) प्रत्येक का 1/24 (एक बट्टा चौबीस) हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 18 (अठारह), 19 (उन्नीस), 21 (ईक्कीस) व 22 (बाईस) का प्रत्येक का 1/112 (एक बट्टा एक सौ बारह) हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 (बीस) का 11/84 (ग्यारह बट्टा चौरासी) प्रतिवादी संख्या 30 (तीस) से वादी व प्रतिवादी संख्या 17 (सत्रह) ने ऋण ले रखा है, प्रतिवादी संख्या 31 (इग्तीस) से प्रतिवादी संख्या 16 (सोलह) ने ऋण ले रखा है, प्रतिवादी संख्यां 32 (बत्तीस) राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर भूमि धारक होने से तलसीलदार बीदासर को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 25 (पच्चीस) ता 27 (सतांईस) जो खातेदार मृतक मुकेश पुत्र चूनाराम के वारिसान है।

वादगत सम्पति कृषि भूमि पर मुताबिक हिस्सा के कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग चला आ रहा है। वादी व अन्य पक्षकारान ने मुताबिक हिस्सा के अलग–अलग सीवें डालकर बाड़ व तारबन्दी अपने–अपने हिस्से पर कर रखी है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 30 (तीस) से ऋण ले रखा है।

वादी व प्रतिवादीगण खातेदारान का मौखिक विभाजन काफी वर्षो पूर्व ही हो चुका था। वादी के पिता भैराराम व स्व. भैराराम का भाई पुसाराम था। दोनों भाई फौत हो गये तो स्व. भैराराम के चार संतान कानाराम, किसनाराम, दानाराम आदूराम (वादी) थे। वादी व वादी के तीनों भाईयों कानाराम, किसनाराम, दानाराम फौत हो चुके है जिनके वारिसान का वादगत सम्पति कृषि भूमि में 1/2 (एक बट्टा दो) हिस्सा है। स्व. पुसाराम जिनके तीन पुत्र संतान मोहनराम, अमराराम, भानीराम थे, जिनमें से

लगातार....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

अमराराम फौत हो गया और मोहनराम, भानीराम मौजूद है। जो प्रतिवादीगण संख्या 16 (सोलह), 17 (सत्रह) है। स्व. पुसाराम के वारिसान का वादगत सम्पति कृषि भूमि में 1/2 (एक बट्टा दो) हिस्सा है।

वादी व प्रतिवादीगण खातेदारान की वादगत सम्पति कृषि भूमि संयुक्त होने से आये दिन सीमाओ कोलेकर व आवागमन के रास्ते को लेकर विवाद होता रहता है तथा खातेदारान को सरकारी लाभार्थ प्राप्त करने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है तो खातेदारान अलग–अलग रहते है व कमाने खाने के लिए बाहर चले जाते है तो उनसे सहमति लेना नामुमकिन हो जाता है और खातेदारान सरकारी लाभार्थ से वंचित हो जाते है इसलिए वादगत सम्पति कृषि भूमि का विभाजन पक्षकारान के मध्य करवाना लाजमी हो गया है।

वादी वादगत सम्पति कृषि भूमि का संयुक्त खातेदार व काबिज काश्तकार है। वादी ने वादगत सम्पति कृषि भूमि पर अपने हिस्से पर लम्बे समय से पुख्ता सीवें कायम कर रखी है और अपने हिस्से की भूमि को खाद डालकर उपजाऊ बनाया है। इसलिए वादी को विभाजन का वाद पेश करने का आधार प्राप्त है।

वादपत्र में वर्णित वादगत सम्पति कृषि भूमि के भूमि धारक राजस्थान सरकार है, जिनके प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार बीदासर को बतौर प्रतिवादी संख्या 32 (बत्तीस) संयोजित किया गया है। सरकार या सरकार के प्रतिनिधि के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा है। फिर भी कानूनी औपचारिकताओं के निराकरण के लिए पक्षकार संयोजित किया गया है। वादी का वादपत्र विभाजन प्राप्ति का है।

वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 (एक) ता 29 (उनतीस) को कई बार मौखिक रूप से वादगत सम्पति कृषि भूमि का विभाजन तहसील कार्यालय में साथ चलकर करके का निवेदन अलग–अलग समय में किया व अंतिम बार दिनांक 16.01.2022 (सोलह जनवरी दो हजार बाईस) को किया तो प्रतिवादीगण ने मनाह कर दिया व वादी की बात पर सहमत नहीं हुये, इसलिए वादी को वाद हैतूक प्राप्त है।

वादगत सम्पति कृषि भूमि रोही ग्राम रूपेली तहसील बीदासर जिला चूरू (राज॰) में होने से श्रीमान के न्यायालय को विभाजन का वादपत्र सुनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

वादी का वादपत्र वाजिब कानूनी न्याय शुल्क पर अवधि भीतर प्रस्तुत है।

वादी आदुराम की ओर से वादपत्र दिनांक 02.03.2022 को प्रस्तुत किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया जाकर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर

लगातार....5 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण को तलब किया गया, आगामी तारीख पेशी 22.03.2022 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 29 की ओर से अधिवक्ता ने वकालत नामा प्रस्तुत किया व साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 29 की ओर से इकबाल जवाबदावा पेश किया, नकल अधिवक्ता वादी को दिलायी गयी, प्रतिवादीगण संख्या 30 व 31 की तामिल जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवायी गयी, प्रतिवादी संख्या 32 पर विधिवत् तामिल हो चुकी है, प्रतिवादीगण संख्या 30 व 31 की ओर से कोई उपस्थित नहीं, प्रतिवादी संख्या 32 राज्य सरकार की ओर से पैरोकार राज तहसीलदार बीदासर स्वयं उपस्थित होकर जबाबदावा पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया, पैरोकार राज के जबाब के बाद पत्रावली वास्ते साक्षी वादी नियत की गयी, साक्ष्य वादी में गवाह PW1 आदुराम के बयान दिनांक 26.05.2022 को लेखबद्ध किये गये, प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं करनी चाही। प्रकरण में दिनांक 26.05.2022 को साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गयी। पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने प्रकरण के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 29 संयुक्त खातेदार काबिज काश्तकार है तथा साथ ही अधिवक्ता वादी ने गवाह PW1 न्यायालय में हुये बयानों की ओर ध्यान दिलाते हुये प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी आधार सम्वत् 2074–77 तक ग्राम रूपेली जो प्रदर्श–1 है जिसमें प्रकरण के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 29 संयुक्त खातेदार है जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा है। रोही ग्राम रूपेली के वादगत खसरा नंबर 123, खसरा नंबर 161, खसरा नंबर 26, खसरा नंबर 71, खसरा नंबर 89 के नक्शा की प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श–2 ता लगायत प्रदर्श–6 है, प्रदर्श 2 ता 6 नक्शे में वर्णित खसराजात की पुष्टि जमाबंदी प्रदर्श–1 से होती है। प्रदर्श–1 जमाबंदी में वर्णित पांचों खसराजात संयुक्त खातेदारी के अंकित है, साथ ही अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि प्रकरण के किसी भी पक्षकार ने विभाजन से इन्कार नहीं किया है और प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 की ओर से इकबाल जबाब दावा प्रस्तुत हुये है जिसमें प्रतिवादीगण ने अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये सम्पूर्ण कृषि भूमि का मुताबिक हिस्सा कब्जा, काश्त के आधार पर विभाजन कर दिया जाये तो कोई ऐतराज नही होने का स्पष्ट अंकन किया है तथा अधिवक्ता वादी ने साथ ही कथन किया कि प्रकरण के प्रतिवादी संख्या 32 पैरोकार राज ने अपने जबाब दावे में वर्णित किया है कि प्रकरण मे कोई राज्यहित प्रतीत नही हो रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार....6 पर

Scanned with CamScanner

बहस पक्षकारान सुनी जाकर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, प्रकरण में वादी द्वारा दस्तावेज जमावंदी ग्राम रूपेली तहसील बीदासर आधार सम्वत् 2074–77 प्रदर्श–1, नक्शा ग्राम रूपेली खसरा नंबर 123 प्रदर्श–2, नक्शा ग्राम रूपेली खसरा नंवर 161 प्रदर्श–3, नक्शा ग्राम रूपेली खसरा नंबर 26 प्रदर्श–4, नक्शा ग्राम रूपेली खसरा नंवर 71 प्रदर्श–5, नक्शा ग्राम रूपेली खसरा नंबर 89 प्रदर्श–6 है जिनको वादी द्वारा न्यायालय बयान दिनांक 26.05.2022 को प्रदर्शित करवाये गये तथा वादी के वाद पत्र में वर्णित अनुतोष का मूलाहिजा किया गया। प्रकरण के तथ्यों दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत हो रहा है, वादी का वाद प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी विभाजन कृषि भूमि का प्रमाणित होने से वाद विभाजन प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है कि रोही ग्राम रूपेली पटवार हल्का वालेरां तहसील बीदासर जिला–चूरू के खेत खसरा नम्बर 123 रकबा 6.0449 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 161 रकबा 4.4263 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26 रकबा 5.2230 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 71 रकबा 8.9157 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 89 रकबा 1.0117 हैक्टेयर कुल खसरे 5 कुल रकबा 25.6216 हैक्टेयर का मुताबिक हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड एवं कब्जा, काश्त के आधार पर हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि का विभाजन कराने के अधिकारी है। तहसीलदार बीदासर को आदेशित किया जाता है कि मौका पर जाकर वादगत कृषि भूमि का राजस्व रेकॉर्ड के हिस्सा एवं कब्जा के मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करें तथा रहन का अंकन पक्षकारान के हिस्से पर दर्ज किया जावें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2022 को खुली न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बीदासर

(रेवाराम वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner